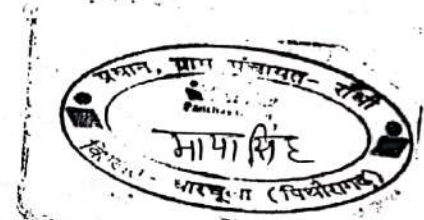


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबांट रॉथी हल्का वाहन मार्ग के विस्तारीकरण का कार्य (लम्बाई 0.00 से 7.075 किमी०) जनहित का मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण कार्य के संबंध में ग्रामवासियों की आमसभा में निर्णय लिया गया कि इस मार्ग में पड़ने वाली सिविल भूमि/वन पंचायत भूमि/नापभूमि में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

जसवन्ती
(जसवन्ती देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
18-रॉथी दक्षिण
वि०ख०- धारचूला



अनापत्ति प्रमाण पत्र

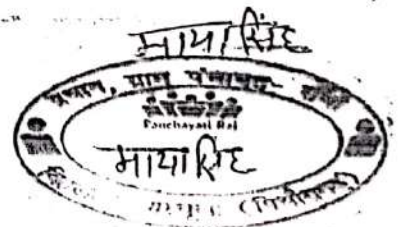
प्रमाणित किया जाता है, कि आज दिनांक _____ को ग्राम पंचायत राँची पट्टी-राँची जिला-पिपरी रागढ़ के ग्रामवासियों द्वारा आम बैठक बुलाई गई, जिस में विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत दोबाट-राँची हल्का वास्तु मार्ग का विस्तारीकरण के सम्बन्ध में चर्चा की गई, जिस में समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए और सर्व सम्मत से मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सहमत हो गई, कि यदि मोटर मार्ग में हमारी नाप भूमि सिविल भूमि एवं वन पंचायत की भूमि प्रभावित होती है, तो ग्रामवासियों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, और न ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति रहेगी, यदि प्रमिगार्ड हेतु हमारी नाप भूमि चपन की जाती है, तो हम अपनी नाप भूमि सहित देने के तैयार हैं, और मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने की कृपा करें, मोटर मार्ग के निर्माण में हम ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है, हम सभी ग्रामवासी पूर्ण रूप से सहमत हैं, एवं हस्ताक्षर कर दे रहे हैं, मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाय।

श्री/श्री का पिकान जनपद
नाम

= निष्कर्ष
 वन पंचायत राँची (दोबाट)
 धारचूला

हस्ताक्षर

महदीय
 समस्त ग्रामवासी



- 1- बैर लाल
- 2- Dhanu Nath
- 3- 6.12.0
- 4- 6.12.0
- 5- 6.12.0
- 6- ADhuri
- 7- 6.12.0
- 8- 6.12.0

आन सिंह
मन्थु
मन्थु
मन्थु
मन्थु
मन्थु
मन्थु
मन्थु

वार्ड सदस्य 8
 प्रिया
 वार्ड नं. 5